325

संख्या– /XV-3/2016-03(96)/2003(मत्स्य)

प्रेषक,

जी०बी० ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 **देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2016**

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मत्स्य विभाग को 75 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत "मत्स्य पालक विकास अभिकरण" की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1435/म0पावि0अभि0/2015–16, दिनांक 13 जनवरी, 2015 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या–31013/2/2011-Fy(3) दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना हेतु 75 प्रतिशत केन्द्रांश ₹ 39.00 लाख अवमुक्त करने के फलस्वरूप तालाब निर्माण एवं सुधार हेतु केन्द्रांश ₹ 39.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 13.50 लाख इस प्रकार कुल **₹ 52.00 लाख (₹बावन लाख मात्र)** निम्न जनपदों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रं. सं.	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी जिनके निर्वतन पर व्यय हेतु धनराशि रखी जा रही है।	केन्द्रांश	राज्यांश	धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी
1.	जिलाधिकारी, देहरादून	27.00	9.00	36.00	निदेशक, मत्स्य देहरादून
2.	जिलाधिकारी, हरिद्वार	4.50	1.50	6.00	सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार
3.	जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर	7.50	2.50	10.00	सहायक निदेशक, मत्स्य, हल्द्वानी भीमताल (नैनीताल)
	योगः–	**39.00**	**13.00**	**52.00**	

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्ष अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमश.....2

4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृतिप्रदान की गई है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र किसी अन्य मद में किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी। उक्त केन्द्र पोषित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा किये गये प्राविधानों/दिशा–निर्देशों के तहत किया जायेगा।
5. व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स वित्तीय संग्रह डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टेण्डर/कुटेशन के आधार पर किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि को दिनांक 31–03–2016 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जाय।
7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
8. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं–01–मत्स्य पालक विकास अभिकरण (75%केन्द्रांश) –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–**1336**/XXVII(1)/2015, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जी०बी० ओली)
अपर सचिव।

संख्या– 19 (1)/XV-3-2016/03(96)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
6. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।